

## अध्याय— 11 सक्षम एवं अपीलीय प्राधिकारी—

| क्र.स. | दायित्व/अधिकार                                                                                                                                                       | वर्तमान                                  | प्रस्तावित                                                          | अपीलीय अधिकारी                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 11.1   | भूखण्ड/शेड आवंटन अधिकार                                                                                                                                              | जिला उद्योग बन्धु                        | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग अथवा प्रत्यायोजित अधिकारी                  | एक स्तर उच्च                                                  |
| 11.2   | एफएफसी/पीपीपी/सबलेटिंग                                                                                                                                               | जिला उद्योग बन्धु                        | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग अथवा प्रत्यायोजित अधिकारी                  | एक स्तर उच्च                                                  |
| 11.3   | भूखण्ड/शेड बंधक हेतु अनापत्ति/अदेयता प्रमाण पत्र निर्गमन/देयताओं की वसूली/लीज लीड उपरान्त कब्जा देना, लीज डीड/हायर परचेज लीजडीड कराना, आवंटन शर्तों का अनुपालन कराना | उपायुक्त उद्योग                          | उपायुक्त उद्योग                                                     | संयुक्त आयुक्त उद्योग                                         |
| 11.4   | एफएफसी/पीपीपी/सबलेटिंग एफआई(बैंक वित्तीय संस्था) से बंधक हेतु एनओसी                                                                                                  | —                                        | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग अथवा प्रत्यायोजित अधिकारी                  | एक स्तर उच्च                                                  |
| 11.5   | लीजरेण्ट शुल्क आदि का पुनर्निर्धारण                                                                                                                                  | —                                        | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग                                            | एक स्तर उच्च                                                  |
| 11.6   | निरस्तीकरण का अधिकार इकाई स्थापित न करने पर नियम/शर्तों का अनुपालन न करना<br>आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के स्तर से आवंटित भूमि का निरस्तीकरण अधिकार                    | जिला उद्योग बन्धु<br><br>—               | जिला उद्योग बन्धु<br><br>आयुक्त एवं निदेशक उद्योग                   | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग अथवा मण्डलायुक्त<br><br>एक स्तर उच्च |
| 11.7   | अदेयता के आधार पर निरस्तीकरण                                                                                                                                         | जिला उद्योग बन्धु                        | जिला उद्योग बन्धु की संस्तुति पर आयुक्त एवं निदेशक के अनुमोदनोपरांत | एक स्तर उच्च                                                  |
| 11.8   | पार्को के रख-रखाव हेतु अनुमति/निरस्तीकरण                                                                                                                             | —                                        | संयुक्त आयुक्त/जिलाधिकारी                                           | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/मण्डलायुक्त                          |
| 11.9   | सरेण्डर प्राप्त करना, पुनर्जीवीकरण                                                                                                                                   | जिला उद्योग बन्धु                        | उपायुक्त उद्योग                                                     | संयुक्त आयुक्त उद्योग                                         |
| 11.10  | हस्तांतरण की अनुमति 2 वर्षों से कार्यरत इकाई अन्य प्रकरणों में हस्तान्तरण की अनुमति                                                                                  | उपायुक्त उद्योग<br><br>जिला उद्योग बन्धु | उपायुक्त उद्योग<br><br>संयुक्त आयुक्त उद्योग                        | एक स्तर उच्च                                                  |

|       |                                                                                                    |                          |                          |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11.11 | फर्म की विधिक स्थिति में परिवर्तन<br>पार्टनरशिपशेयर होल्डर्स में परिवर्तन<br>उत्पाद परिवर्तन/एडिसन | उपायुक्त उद्योग          | उपायुक्त उद्योग          | संयुक्त आयुक्त उद्योग    |
| 11.12 | भूखण्डों का विभाजन/सम्मेलन                                                                         | —                        | संयुक्त आयुक्त उद्योग    | आयुक्त एवं निदेशक        |
| 11.13 | निजी उद्यमियों को आस्थान की सड़क से आवागमन अनुमति/निरस्तीकरण                                       |                          | संयुक्त आयुक्त उद्योग    | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग |
| 11.14 | निष्प्रयोज्य भूमि(पार्क छोड़कर) को भूखण्ड/शेड घोषित कर ले आउट में संशोधन                           | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग | आयुक्त एवं निदेशक उद्योग | एक स्तर उच्च             |
| 11.15 | निष्प्रयोज्य संरचनाओं की नीलामी                                                                    |                          | संयुक्त आयुक्त उद्योग    | आयुक्त एवं निदेशक        |